ई–मेल / पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–86(शा0)सा0प्र0 / 2016–292टीआर / 2015, लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2016

सेवा में,

1– अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी / मध्य / पश्चिमी), उ0प्र0।
2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उ0प्र0।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उ0प्र0।
5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0 / प्रवर्तन), उ0प्र0।
6– समस्त यात्री / मालकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय: अधिसूचना संख्या–24 / 2016 / 1182 / तीस–4–2016–8(5) / 2015, दिनांक 11.08.2016 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य किये जाने हेतु उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–201 में संशोधन संबंधी उ0प्र0 मोटरयान (तेइसवाँ संशोधन), नियमावली, 2016 प्रख्यापित की गयी है।

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2016 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(इन्दिरा सिंह)
सहायक परिवहन आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0–86(शा0–1)सा0प्र0 / 2016–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2016 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग–4, सचिवालय, लखनऊ को उक्त अधिसूचना दिनांक 11.08.2016 के संदर्भ में।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त महोदय को छोड़कर), मुख्यालय।
5– श्री संजय नाथ झा, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।
6– डा0 वाई0के0 सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7– वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
8– गार्ड फाइल।

(इन्दिरा सिंह)
सहायक परिवहन आयुक्त(प्रशासन)
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-24/2016/1182/तीस-4-2016-8(5)/2015

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा-129 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-21/2016/916/तीस-4-2016-8(5)/2015, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 201 का संशोधन — 2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 201 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात,

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
201 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जब यह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो यथा उस पर सवार हो नीचे उप नियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा। (2) प्रत्येक सुरक्षा टोप- (एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा, (दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों को पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा- (क) निर्माता का नाम और पहचान, (ख) आकार, (ग) निर्माण का मास और वर्ष, और	201 (1) प्रत्येक व्यक्ति, जबकि यह मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो या उस पर सवार (पीछे बैठी सवारी) हो, नीचे उप नियम (2) में दी गयी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सुरक्षा टोप पहनेगा। (2) प्रत्येक सुरक्षा टोप- (एक) भारत मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा, (दो) पर ऐसी रीति से स्थायी और सुपाठ्य लेबिल लगा हो कि लेबिल या लेबिलों को पैडिंग को या कोई अन्य स्थायी सारवान विवरण को यथा- (क) निर्माता का नाम और पहचान, (ख) आकार, (ग) निर्माण का मास और वर्ष, और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके। (तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियाँ जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हो जो रात्रि के दौरान चमकेगी। परन्तु यह कि इस नियम का उप नियम (1) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा- (क) किसी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पिछली सीट पर बैठने वाली प्रत्येक सवारी, (ख) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला कोई व्यक्ति जो पगड़ी बाँधे हो। स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिये पगड़ी का तात्पर्य 7 मीटर X 82 सेंटीमीटर के कपड़े से है जिसे कोई व्यक्ति, जब सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड चला रहा हो, अपने सिर के चारों ओर बाँध सकता है।	(घ) भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह, हटाये बिना आसानी से पढ़ा जा सके। (तीन) कम से कम तीन चिपकाने वाली परावर्ती लाल रंग की पट्टियाँ, जिनका आकार 2 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो और क्षैतिज स्तर पर सुरक्षा टोप के पीछे चिपकी हों जो रात्रि के दौरान चमकेगी: परन्तु यह कि इस नियम का उप नियम (1) सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड को चलाने वाला किसी व्यक्ति, जो पगड़ी बाँधे हो, पर लागू नहीं होगा।

आज्ञा से,
ह0
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

15

संख्या-24/2016/1182(1)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 11 अगस्त, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियों परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-24/2016/1182(2)/तीस-4-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (द्वारा परिवहन आयुक्त)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.24/2016/1182/XXX-4-2016-8(5)/2015 dated August 11, 2016

Notification

No.24/2016/1182/XXX-4-2016-8(5)/2015
Lucknow Dated August 11, 2016

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after inviting the objections and suggestions vide by notification no.21/2016/916/XXX-4-2016-8(5)/2015 dated July 06 , 2016 as used under sub section 212 of the said Act of 1988.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY THIRD AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and Commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Third Amendment) Rules, 2016.
   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of rule 201

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 for the existing rule 201 set out in column-1 below, the rule as set out in the column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
201(1) Every person while driving or riding a motorcycle, a scooter or moped shall wear a protective headgear conforming to the specification given in sub-rule (2) below: (2) Each protective headgear shall- (i) be of specifications of Bureau of Indian standard. (ii) be permanently and legibly labeled in such manner that level of levels can be read easily without removing	201(1) Every person while driving or riding (Pillion Ridder) a motorcycle, a scooter or moped shall wear a protective headgear conforming to the specification given in sub-rule (2) below: (2) Each protective headgear shall- (i) be of specifications of Bureau of Indian standard. (ii) be permanently and legibly labeled in such manner that level of levels can be read easily without removing padding or any other permanent material description

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

64

padding or any other permanent material description such as-

(a) manufacturers name of identification;
(b) size;
(c) month and year of manufacture, and
(d) the mark of Bureau of Indian Standards.

(iii) have minimum three adhesive type retroflective red color strips of the size of 2 centimetres multiplied by 15 centimeters affixed horizontally on back of the headgear which will illuminate during the night:

Provided that sub-rule (1) of this rule shall not apply to-

(a) every pillion rider of a motor cycle, scooter or a moped,
(b) any reason wearing a turban while driving a motor cycle, scooter or a moped in a public place.

Explanation :- For the purpose of this rule turban means cloth 6 meters by 82 centimetres which any person whill driving a motor cycle, scooter or moped in a public place may tie as such around his head.

such as-

(a) manufacturers name of identification;
(b) size;
(c) month and year of manufacture, and
(d) the mark of Bureau of Indian Standards.

(iii) have minimum three adhesive type retroflective red color strips of the size of 2 centimetres multiplied by 15 centimetres affixed horizontally on back of the headgear which will illuminate during the night:

Provided that sub-rule (1) of this rule shall not apply to any reason wearing a turban while driving a motor cycle, scooter or a moped in a public place.

By Order,
Sd/
(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।